# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

**पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0**
**मुकद्मा नम्बर :– 451/2013**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**हकमुद्दीन पुत्र जलेब खां जाति मेव निवासी रामसिंहपुर पालकी तह0 नगर**

**—— वादी**

**बनाम**

1. **हुसैना पुत्र टिन्ना जाति मेव निवासी ग्राम रामसिंहपुरपालकी तह0 नगर**
2. **तहसीलदार तह0 नगर**
3. **सब रजिस्ट्रार तह0 नगर**
4. **मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा बेरू तह0 नगर**

**—— प्रतिवादीगण**

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थित –**

**श्री मुबीनखां, एड0 वादी**
**श्री जाकिर हुसैन एड0, प्रति0**

## निर्णय दिनांक

प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.11.2016 की पालना में तहसीलदार नगर के पत्र कमांक/राजस्व/2017/654 दिनांक 13.06.2017 के साथ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की वहस सुनी तथा पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जिससे तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी फाईनल डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है । ग्राम रामसिंहपुरपालकी तह0 नगर की आ0ख0नं0 126/0.19 मिन पश्चिम दिश पर हकमुद्दीन वल्द जलेब खां कौम मेव सा0देह रहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा भरतपुर को, ख0नं0 126/0.19मिन पूर्व दिशा पर हुसैना वल्द टिन्ना कौम मेव सा0देह को बहिस्सा बराबर पृथक–पृथक खातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्न नजरी नक्शानुसार तरमीर की जावे ।

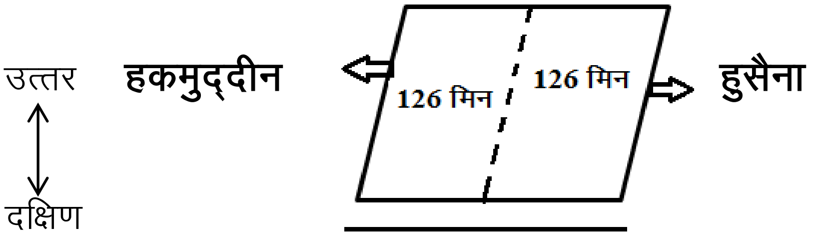


इसी प्रकार अंतिम डिक्री जारी की जावे ।

**(राजवीरसिंह यादव)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर**

निर्णय आज दिनांक .............................. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(राजवीरसिंह यादव)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर**